

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/एस-813/2018/


दिनांक:-

संशोधित आदेश

मननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस0 बी0 सिविल रिट पिटिशन संख्या 8880/2016 में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2017 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक ई- /म0स्वा0कार्य0/सीधी भर्ती-2013/2017/1566 दिनांक 03.11.2017 द्वारा श्रीमती सरोजबाला पुत्री श्री सिंह राम (आई.डी. नं0 6030002573) का महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर चयन किया जाकर पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर के अधीन किया गया है।

उनका पदस्थापन उनकी स्वयं की प्रार्थना पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद पर किया जाता है जहां उन्हें दिनांक 06.03.2018 तक कार्यग्रहण करना होगा।

आदेश दिनांक 03.11.2017 की शेष शर्तें यथावत लागू रहेगी।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 26/02/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/एस-813/2018/416

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप- 3) विभाग, राज. जयपुर।
4. निदेशक, (जन स्वा./ 1.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
6. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
7. उप विधि परामर्शी, मुरथालय।
8. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-जोधपुर/जयपुर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर/जैसलमेर।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि रिक्त आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर को भी ई-मेल करे।
11. संबंधित केस प्रभारी अधिकारी एवं समन्वयक।
12. श्रीमती सरोजबाला पुत्री श्री सिंह राम पत्नी श्री ताराचन्द ग्राम डूमरोली, तहसील निमराना, जिला अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति नियत तिथि तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को प्रस्तुत करें अन्यथा आदेश नैरस्त समझे जावेंगे।
13. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर